झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत केशो नदी प्रखंड–मरकच्चो, जिला–कोडरमा पर उद्‌वह सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 37.21 लाख (रू0 सैतीस लाख इक्कीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत केशो नदी प्रखंड–मरकच्चो, जिला–कोडरमा पर उद्‌वह सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 37.21 लाख (रू0 सैतीस लाख इक्कीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

4. प्रस्तावित उद्‌वह सिंचाई योजनाओं में Construction of Intake well, Pump House, Outlet, Distribution chamber, Mechanical Fitting, Electrical Motor Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

5. प्रस्तावित कार्यो की कार्यान्वयन निम्न शर्तो के साथ प्रस्तावित है :–

(i) इस योजना का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

(ii) प्रस्तावित उद्‌वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरांत योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(iii) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एंव विडियोग्राफी कराया जाएगा एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा द्वारा उचित माध्यम से इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने / विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।

6. इस योजना के निर्माण कार्य से कुल 25 हे॰ (खरीफ 20 हे॰ एवं रब्बी 5 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

7. प्रस्तावित कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

8. प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101–सतही जल–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

9. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

10. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी कोडरमा कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा0स्वी0–74/2016/ 73/15-16 प्र॰स्वी॰ /राँची, दिनांक 18.03.2016
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

18/03/16